ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

शोध प्रारूप

शोध शीर्षक

बिहार में मानवाधिकार की स्थिति का अध्ययन :
महिलाओं के विशेष संदर्भ में (2014–2024)

Head
(Prof. Muneshwar Yadav)
Univ. Deptt. of Pol. Sc.
L.N.M.U., Darbhanga

सामाजिक विज्ञान संकाय राजनीति विज्ञान विभाग

को पी.एच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

पर्यवेक्षक

डॉ० संजय कुमार झा

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान

एम.एल.एस.एम. कॉलेज दरभंगा।

मो०– 9931241823

शोधार्थी

काजल कुमारी

Roll No - 22160076

PAT 2021-2022

Behind Bazari Mal Gali

Kathalwari, Darbhanga

शोध का शीर्षक
बिहार में मानवाधिकार की स्थिति का अध्ययन: महिलाओं के विशेष संदर्भ में (2014–2024)

शोध परिचय –

भारत का संविधान, जिसे 1949 में अपनाया गया था, में लिंग के आधार पर समानता और गैर–भेदभाव की अवधारणा को शामिल करने वाले कई अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान विभिन्न मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों की मान्यता देता है और बिना किसी भेदभाव के पुरूषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकारों की गारंटी देता है। 1993 में भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी बनाया। अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज सकती हैं। वर्तमान समय में, साक्षरता के स्तर के विस्तार के साथ भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है, जिससे वे अधिक स्वतंत्र हो गई हैं और अपने अधिकारों जैसे समान व्यवहार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार और भरण–पोषण का अधिकार के प्रति जागरूक हो गई हैं। अधिकांश महिलाएँ अभी भी अपने अधिकारो के प्रति अनभिज्ञ हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें उत्पीड़न, शोषण और अन्याय का सामना करना पड़ता है। 2012 में निर्भया काण्ड के उपरांत, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई महिला–उन्मुख विशिष्ट कानून भी बनाए गए हैं। ऐसे कानून उन लोगों के लिए दंड निर्धारित करते हैं जो मानव व्यवहार के स्वीकार्य मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और महिलाओं या उनकी गरिमा पर हमला करने के लिए कानूनी सीमाओं को पार करते हैं।

बिहार से हुए श्रम प्रवास ने महिलाओं को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित किया हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से पुरूष प्रवास महिलाओं के श्रमबल में भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कारक बना। किन्तु एक पुरूष को प्राप्त आय एवं एक महिला को प्राप्त आय के अंतर ने महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक

रूप से द्वितीयक बनाए रखा हैं। महिलाओं मानव की श्रेणी में दोयम बनी हुई है। महिलाओं के अधिकार भी मानवाधिकार है जो सभी महिलाओं को प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में, इन अधिकारों को अक्सर पुरूषों के अधिकारों की तरह संरक्षित नहीं किया जाता है। महिलाओं के अन्य अधिकारों में शामिल हैं: शारीरिक सुरक्षा अधिकार, जैसे लैंगिक हिंसा से मुक्त होना, सामाजिक अधिकार जैसे स्कूल जाना और सार्वजनिक जीवन में भाग लेना, आर्थिक अधिकार, जैसे संपत्ति का मालिक होना, अपनी पसंद की नौकरी करना और इसके लिए समान रूप से भुगतान किया जाना, और राजनीतिक अधिकार, जैसे मतदान करना और सार्वजनिक पद धारण करना। इन अधिकारों की सुरक्षा महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने और उसमें पनपने की अनुमति देती है।

बिहार सरकार राज्य के विकास में महिलाओं की आर्थिक उपलब्धि को बड़े विकास लक्ष्यों के रूप में देखती हैं। राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को एक रणनीतिक योजना के रूप में देखती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में भारी मात्रा में निवेश किया गया है साथ ही योजनाओं का कार्यान्वयन व्यापक रूप से किया गया है, जैसे– मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जीविका के तहत महिला समूहों पर ध्यान केंद्रित करने जैसी ऐतिहासिक नीतियों के माध्यम से, यह आशा की जाती है कि बिहार में महिलाएं और लड़कियां अपनी क्षमता हासिल कर सकती है और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। जबकि राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अधिक जेन्डर–न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक कदम है, हमें उन अंतर्निहित सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है जो महिलाओं के लिए अवसर को सीमित करते हैं।

शोध समस्या कथन –

हाल के वर्षों में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार के प्रयासों में कई सकारात्मक विकास हुए हैं। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और नीतियां लागू किया है, कार्यबल में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

है और महिलाओं ने राजनीति, व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्थान हासिल किए हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद, बिहार में महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह शोध निम्न प्रश्नों को संबोधित करेगा–

- बिहार में महिलाओं के मानवाधिकार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
- क्या राजनीतिक भागीदारी के बढ़ने से महिलाओं के मानवाधिकार की स्थिति में परिवर्तन आया है?
- क्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार की "नारी विशेष नीतियां" महिलाओं में समान रूप से पहुँच रखती हैं?
- बिहार में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कौन से कदम उठाए गए हैं? इन प्रयासों का महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति पर क्या प्रभाव है?
- क्या पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं के मानवाधिकार में बाधक है?

साहित्य समीक्षा

Mishra, J. (2000) Women and Human Rights की पुस्तक इस तथ्य की चर्चा करती है कि हिंसा दुनिया भर में सभी सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक वर्गों में लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। यह सांस्कृतिक और धार्मिक अंतरों से परे जाकर महिलाओं को समाज में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकार को बाधित करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा घरेलू दुर्व्यवहार से लकर बाल विवाह और महिला खतना तक कई निराशाजनक रूप लेती है। ये सभी सबसे बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना और लड़कों एवं पुरूषों को महिलाओं के जीवन में, समाज के विकास में और शांति की प्राप्ति में मूल्यवान भागीदार के रूप में देखने के लिए शिक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाना।

Verma, Dr. Deepak (2022) भारत में मानवाधिकार भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, पर वास्तविकता यह है कि स्त्री को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना

चाहिए। उन्हें निजी स्वार्थ के लिए परेशान किया जाता रहा है तथा उनके अस्तित्व का दुरूपयोग किया जाता है। महिलाओं पर – अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न विशेषत: सार्वजनिक एवं कार्य करने के स्थल पर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में विशेष स्थान नहीं मिल पाया है। अक्सर इन अधिकारों का उल्लघंन ही होता आया है।

Reilly, N. (2013) Women's Human Rights यह पुस्तक महिला मानवाधिकार आंदोलन के प्रमुख मुद्दों, बहसों और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं नीति क्षेत्रों में व्यवहारिक हस्तक्षेप की जांच के माध्यम से इसके विकास का पता लगाती है।

सिंह, प्रतिष्ठा (2017), वोटर माता की जय यह पुस्तक उल्लेखित करती है कि यदि हमें सामाजिक उन्नति के स्तर को जानना है तो सबसे पहले उस समाज की महिलाओं की दशा का अध्ययन करना चाहिए। जब कोई बातचीत या वार्तालाप केवल सवाल–जवाब न होकर एक चर्चा का रूप ले लेती है तो कई परतें उभर कर आती हैं। मतदान के इन बहु–आयामी कारणों/कारकों को इस किताब में बखूबी पेश किया गया है। चुनाव केवल पुरूषों का कर्मक्षेत्र नहीं है, ना ही होना चाहिए। इस किताब को पढ़कर ये यक़ीन हो जाता है कि कम से कम बिहार में ऐसा नहीं है। चुनावों को लेकर महिलाओं का जो जोश रैलियों में हमने देखा था, उसी जोश से उन्होंने लेखिका से विचारविमर्श किया है। चुनावों पर अनेक तरह की समीक्षाएँ एवं आलोचनाएँ लिखी जाती रही हैं, खासतौर पर बिहार के चुनावों पर। लेकिन यह किताब उन सबसे अलग है। यहाँ बहुत ही सरलता और सहजता से एक गंभीर सामाजिक बदलाव को प्रस्तुत किया गया है जिसका हम स्वागत करते हैं।

Kunj Bihari, O. (2023) Human Rights of Women in India: An Analytical Study.

पुरूषों और महिलाओं के अधिकार समान हैं लेकिन कुछ परिस्थितिजन्य कारकों के कारण महिलाओं के मानवाधिकारों पर अलग से चर्चा करना जरूरी है। इसके पीछे कई कारण हैं: पहला, महिलाएं दुनिया की लगभग आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती हैं, दूसरे, दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न चरणों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तीसरे, महिलाओं से कुछ विशेष कार्य

करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए उन्हें अलग से मानवाधिकारों की आवश्यकता थी।

Chandrashekhar, D.M. (2016). Human Rights, Women and Violation. भारत में सभी महिलाएँ दोहरे पूर्वाग्रह की शिकार हैं: अपने लिंग को लेकर। एक तरफ तो उन्हें देवी के समान ही माना जाता है जैसे कन्या, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, माता आदि कई रूपों में। लगभग हर जगह मां आज भी सम्माननीय है, कई परिवारों में बेटियों को कन्या के रूप में सम्मान मिलता है लेकिन दूसरी तरफ वे पीड़ित भी है, घर पर उसे घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और चरित्र पर दोषारोपण का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी उसे अपने रिश्तेदारों द्वारा या सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक उत्पीड़न या बलात्कार का सामना करना पड़ता है। महिला 6 महीने की हो या 80 साल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान यहां तक कि घर पर भी असुरक्षित हैं। इसलिए इन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए महिलाओं को और अधिक मजबूत, जागरूक और एकजुट होना होगा।

आलेख

Saryal, S. (2014). Women's rights in India: Problems and Prospects वर्तमान पेपर भारत में महिलाओं के अधिकार से संबंधित मूलभूत प्रश्नों की पड़ताल करता है, यह लेख भारत में महिलाओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों जैसे दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, विरासत के अधिकारों से इन्कार, लड़कियों की बिक्री और तस्करी आदि से निपटने का प्रयास करता है। पेपर का उद्वेश्य पुरूषों की तरह महिलाओं को समान रूप से सशक्त बनाने के लिए रणनीति विकसित करना है।

Purohit, H. (2022). यह निबंध एक गुणात्मक केस स्टडी है और इसका उद्देश्य यह है कि 2018 और 2021 के बीच मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा में प्रस्तुत अधिकारों के अनुसार भारत में महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लघंन कैसे किया जा रहा है और यह लिंग दृष्टिकोण के आधार पर महिला आबादी को कैसे प्रभावित करता है।

THAKUR, D. (2019). Women's rights in India: Problems and Prospects लैंगिक समानता मानवाधिकार न्यायशास्त्र का सार है। यह विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा में सबसे आगे और मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है और इसे विकास के सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लैंगिक समानता का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक संसाधन, रोजगार, नेतृत्व की स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक विकास में योगदान के क्षेत्र में महिलाओं, पुरूषों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अवसरों में समानता।

Kaur, M. (2023). Women Empowerment in India: Emerging Dimensions: भारत में महिला सशक्तिकरणः उभरते आयाम. महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं विकसित की है। इसके साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानूनों का निमार्ण भी किया गया है। महिलाओं के साथ तीव्र गति से बढ़ते अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य सरकारों द्वारा किया गया है। यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर उच्च करने हेतु शिक्षा को वरीयता दी जा रहा है। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की योग्यता को निखारकर उन्हें एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करना है। लिंग–भेद जैसी समस्या को समाप्त करके प्रत्येक प्रकार की सेवा में महिलाओं की पुरूषों से ज्यादा वरीयता प्रदान करके महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव है। इस शोध पत्र में वर्तमान में महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की स्थिति जानने तथा उनके निवारण हेतु उपायों को बताने का प्रयास किया गया है।

शोध का आच्छादन एवं शोध क्षेत्र –

यह शोध महत्वपूर्ण रूप से नारी मानवाधिकार के विशेष अध्ययन तक सीमित होगा। इसका शोध क्षेत्र बिहार राज्य है तथा इसमें राज्य सरकार के नीतियों के आलोक में राज्य में महिलाओं की स्थिति पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

शोध उद्‌देश्य

- महिलाओं में स्वयं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता एवं प्रभावित करने वाले सामाजिक–आर्थिक कारकों की जांच करना।
- राज्य की मानवाधिकार संबंधी नीतियों एवं संस्थानों का अध्ययन करना। संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों की प्रभावित का मूल्यांकन करना।
- जाति–आधारित असमानता और लिंग भेदभाव के दोहरे कारकों और महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति पर उनके मिश्रित प्रभाव की जांच करना।
- मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक दशाओं का पता लगाना।
- यह अन्वेषण करना कि बिहार से पुरूषों का प्रवास पीछे रह गई महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है।
- महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण के बीच संबंध की जांच करना।
- लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचे और प्रवर्तन तंत्र की जांच करना, उनकी पर्याप्तता और कार्यान्वयन चुनौतियों का ऑकलन करना।
- विविध सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों और प्रणालीगत बाधाओं पर विचार करते हुए महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शोध निष्कर्षों के आधार पर नीति सिफारिशें विकसित करना।

शोध परिकल्पना

- बढ़ती राजनीतिक भागीदारी करने के कारण महिलाओं के मानवाधिकार को सुरक्षित रखने में सहायता मिली है।
- मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है।
- जातिगत असमानता एवं लैंगिक भेदभाव महिलाओं के मानवाधिकार की स्थिति को निम्न बनाए रखने के दोहरे कारक हैं।
- बिहार से पुरूष प्रवास महिलाओं के मानवाधिकार को प्रभावित करता है।
- महिलाओं के मानवाधिकार में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर विषमता व्याप्त हैं।

शोध का विषय अनुशासन एवं अन्य अनुशासन के प्रति योगदान

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, मानवाधिकार और सामाजिक–आर्थिक कारकों के अन्तरसंबंध पर केंद्रित अनुसंधान की क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, इसमें लैंगिक अध्ययन के विषय को विस्तारित करना, राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में नागरिक के रूप में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना, मानवाधिकार संबंधी अध्ययन में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना, खासकर जब वे महिलाओं से संबंधित हों। शोध के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों के कार्यान्वयन और कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता पर चर्चा को सूचित कर सकते हैं। जेन्डर भूमिकाओं, शक्ति गतिशीलता और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की जांच करके समाजशास्त्रीय अनुसंधान में योगदान करना। जेन्डर–संवेदनशील विकास नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में योगदान देना। नीति निर्माण, आप्रवास अध्ययन में यह शोध महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रस्तुत शोध राजनीतिविज्ञान के साथ–साथ मानवाधिकार अध्ययन, लैंगिक अध्ययन, समाजशास्त्र और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए भी उपयोगी होगा।

शोध विधि

यह शोध ऐतिहासिक–विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित होगा। शोध के अवधारणात्मक पहलूँ का निर्माण गहन साहित्य सर्वेक्षण द्वारा किया जायगा, जिसमे सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट, इंडेक्स, सहित नीतिगत विपत्रों एवं पूर्व से किए गए शोध कार्यो की समीक्षा की जाएगी। आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रश्नावली तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि अपनाई जाएगी। मानवाधिकार से जुड़े प्रमुख केस अध्ययन को शामिल किया जाएगा।

कार्य योजना : प्रस्तावित अध्यायीकरण

- परिचय

➤ अध्याय 1 : मानवाधिकार का सामाजिक संदर्भ

➤ अध्याय 2 : महिलाओं के मानवाधिकार

➤ अध्याय 3 : जातिगत असमानता और लैंगिक भेदभाव

➤ अध्याय 4 : शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समानता

➤ अध्याय 5 : महिला सुरक्षा के कदम

- निष्कर्ष।

संदर्भ सूची।

ग्रंथ सूची

प्राथमिक स्त्रोत

TOWARDS 2023 HUMAN DEVELOPMENT REPORT

बिहार जेन्डर बजट 2021 -2022

Bihar Gender Report Card 2019

द्वितीयक स्त्रोत

Bharat Mein Mahila Manvadhikar : Pramukh Chunotiyan. (2013). India: पोइंटर पब्लिशर्स.

बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका. (2012). India: Bihāra Rājya Abhilekhāgāra Nideśālaya.

Chandrashekhar, D. M. (2016). Human Rights, Women and Violation. (n.p.): Ebooks2go Incorporated.

Kunj Bihari, O. (2023). Human Rights of Women in India An Analytical Study. (n.p.): INDEPENDENT AUTHOR.

Kaur, M. (2023). Women Empowerment In India: Emerging Dimensions: भारत में महिला सशक्तिकरण: उभरते आयाम. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 8(7), 188-190.

Mishra, J. (2000). Women and Human Rights. India: Kalpaz Pubications.

महिला मानवाधिकार: संरक्षण बनाम वस्तुस्थिति. (2016). India: Āvishkāra Pabliśarsa, Ḍisṭrībyūṭarsa.

M. K. (2018). बिहार में अशिक्षित नगरीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति. India: Jānakī Prakāśana.

Maurya, Ś. (2012). Mahila Manavadhikar: Jwalant Mudde Avem Pramukh Vyavasthayein. India: आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स.

Nussbaum, M.C. (2016). Women's progress and women's human rights. Hum. Rts. Q., 28, 589.

PRIYEDARSHI, V. (2013). Women's Rights in India: THE ROLE OF THE NAXALITE MOVEMENT. World Affairs: The Journal of Intonations Issues, 17(3), 134-145. https://www.jstor.org/stable/48531585

Roy, R. (2006). Women's Rights in India: A Feminist Perspective. India: Akansha Publishing House.

Reilly, N. (2013). Women's Human Rights. Germany: Polity Press.

Rao, B.P. (2017). The violation of women human rights in India. International Journal of Research in Social Sciences, 7(8), 229-236.

Saryal, S. (2014). Women's rights in India: Problems and Prospects. International Research Journal of Social Sciences, 3(7), 49-53

THAKUR, D. (2019). Gender equality and human rights in India: Issues and perspectives. An International Peer Reviewed Open, 2(3), 169-275.

Verma, Dr. Deepak (2022) भारत में मानवाधिकार (Bharat mein Manavadhikar) Kalpana Prakashan.

सिंह, प्रतिष्ठा (2017), वोटर माता की जय! India: Vani Prakasana.

Women of India. (n.d.). India: Publications Division Ministry of Information & Broadcasting.

15.4.24
पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

15/04/24
शोधार्थी का हस्ताक्षर

20-04-24.

20/04/2024